

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरुण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 96/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
सुरताराम पुत्र पन्नाराम जाति विश्णोई निवासी ग्राम मोरिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या
2019/794 अनवान तहसीलदार लोहावट बनाम सुरताराम मे दिनांक
29-8-2019 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1-श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2-राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉ0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4-12-2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पॉ0 तहसीलदार लोहावट की ओर से राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10-8-2016 के अनुसरण मे रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान जिसमे मौके पर चालू रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु ग्राम मोरिया के के खसरा नंबर 279/2, 279/1, 279/8, 279, 295, 290/2, 291 मे से 6 बीघा 03 बिस्वा भूमि मे चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रेषित किया गया । उक्त खसरा नंबरान मे से अपीलांटगण के खसरा नंबर 295 एवं 290/2 की कमश: 1.10 एवं 1.15 बीघा भूमि भी शामिल है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लोहावट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित खसरा नंबरान एवं उनके आगे अंकित रकबे की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिनांक 29-8-2019 को पारित करते हुए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे तरमीम करने के आदेश तहसीलदार लोहावट को पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के

विपरीत एवं धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि बिना सहमति के खातेदारों की खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता में दर्ज नहीं किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

अंत में वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29-8-2019 को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों की उपस्थिति में रास्तों का मौका निरीक्षण कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तों की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार लोहावट ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्तों जो मौकों पर चालू हैं तथा आमजन के उपयोग में आ रहा है परंतु उनका रास्तों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है, ऐसे रास्तों को चिह्नित कर, रास्तों के रूप में उपयोग में आ रही भूमि ग्राम मोरिया के खसरा नंबरान 279/2, 279/1, 279/8, 279, 295, 290/2, 291 में से 6 बीघा 03 बिस्वा भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शों में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष विधिवत दस्तावेजात के साथ प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29-8-2019 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध में अपनाई की प्रक्रिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार लोहावट ने ग्राम मोरिया के अपील में वर्णित उक्त खसरा नंबरान 279/2, 279/1, 279/8, 279, 295, 290/2, 291 में से 6 बीघा 03 बिस्वा निजी खातेदारों की भूमि में चल रहे चालू रास्तों जो आवागमन के काम आ रहे हैं परंतु अभी तक खातेदारों की खातेदारी में चली आ रही हैं, उनका राज्य सरकार राजस्व विभाग (गुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10-8-2016 के अनुसरण में राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया तथा प्रस्ताव के साथ में खातेदारों के खातेदारी बाबत जमाबंदी की नकले, राजस्व नक्शा, प्रस्तावित रास्तों का रकबा आदि सलग्न प्रस्तुत किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित रकबों की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रार्थना पत्र को धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णित अवश्य किया है परंतु किसी भी



राजस्थान सरकार
जयपुर

खातेदार को बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये सीधे ही उनके खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी-बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है ।

परिणामस्वरूप अपीलाट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29-8-2019 मे से अपीलाट की ग्राम मोरिया स्थित खातेदारी के खसरा नंबर 295 एवं 290/2 की क्रमशः 1.10 एवं 1.15 बीघा भूमि को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने बाबत पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लोहावट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाटगण की उपस्थिति मे उसके खातेदारी के खेत मे से चल रहे कदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर यदि उसके खातेदारी के उक्त खसरा नंबरान मे से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 4-12-2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।



(अरुण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर